(वाद संख्या–**4760/17**)

09.07.2020

परिवादी, कंचन देवी पति–धर्मेन्द्र यावद सा0–लश्करी, थाना–बांका, जिला–बांका द्वारा दाखिल परिवाद–पत्र पर पुलिस अधीक्षक, बांका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

पुलिस अधीक्षक, बांका द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि भा0द0वि0 की धाराओं, 147/ 148/ 149/ 341/ 323/ 325/ 337/ 307/ 504/ 506 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत संस्थित बांका थाना कांड संख्या–150/17, दिनांक–12.03.2017 के नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को अनुसंधानान्तर्गत सत्य पाकर अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अंतिम आरोप–पत्र संख्या–207/18, दिनांक–27.06.2018 समर्पित किया जा चुका है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

अब, जबकि उक्त प्रसंगाधीन मामले के संबंध में बांका थाना कांड संख्या–150/17, दिनांक–12.03.2017 के नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को अनुसंधानान्तर्गत सत्य पाकर अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अंतिम आरोप–पत्र संख्या–207/18, दिनांक–27.06.2018 समर्पित किया जा चुका है तथा उक्त प्रसंगाधीन ममले को माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर पुलिस अधीक्षक, बांका के प्रतिवेदन के आलोक में आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार पुलिस अधीक्षक, बांका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन (पृ0–18–17/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य।**

सहायक निबंधक